न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

अपील संख्याः 113/2023 GCMS No.—2019/00186

सीताराम पुत्र भागीरथ (दौराने अपील मृतक)
1/1 रामप्यारी देवी पत्नी सीताराम
1/2 ओमप्रकाश पुत्री सीताराम
1/3 सूर्यनारायण पुत्र सीताराम
1/4 गीता देवी पुत्री सीताराम
1/5 रतन देवी पुत्री सीताराम
1/6 सुरज देवी पुत्री सीताराम
1/7 सुनीता देवी पुत्री सीताराम
समस्त जाति कुमावत निवासी ढाणी लोहरवाडा तन बगरूकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. सुण्डीलाल पुत्र गंगाराम
2. मन्नी देवी पत्नी सुण्डीला
   जाति कुमावत निवासी ढाणी लोहवावडा तन बगरूकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. नवीन जैन पुत्र पदम चन्द जैन
4. आशिष जैन पुत्र कुलदीप जैन
   जाति जैन निवासी प्लाट नंबर 113 बगरूकलां तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपतहसीलदार बगरू दिनांक 22.10.2019 बाबत नामान्तकरण संख्या 2698 ग्राम बगरू।

———————

उपस्थितः–
1. श्री सुमन कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री सत्यनारायण शर्मा, मनीष शर्मा अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 1 एवं 2 ओर से।

निर्णय दिनांकः 07.07.2025

अपीलांट ने यह अपील उप तहसीलदार बगरू के निर्णय 22.10.2019 जिससे नामान्तरकरण संख्या 2698 वाके ग्राम बगरू कलां, तहसील सांगाानेर अपीलांट एवं रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के नाम स्वीकार किया गया जिससे असंतुष्ट होकर अपील दिनांक 13.11.2019 को न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण शर्मा उपस्थित आये। रेस्पा0 संख्या 3 व 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। रेस्पा0 संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि ग्राम बगरू तहसील सांगानेर स्थित अपीलाधीन आराजीयात के संबंध में अपीलांट ने न्यायालय सहायक

कलक्टर जयपुर द्वितीय में दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जिसमें उपतहसीलदार बगरू ने दिनांक 10.05.2018 को उभय पक्षों की उपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय को प्रेषित कर दिये जिस पर रेस्पा0 संख्या 1 व 2 ने आपत्ति पेश की जिसके पश्चात पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट भेजने के बाद सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय जयपुर ने दिनांक 04.09.2019 को उक्त दावा अंतिम डिक्री कर दिया। न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय की अंतिम डिक्री दिनांक 04.09.2019 के विरूद्ध अपीलांट ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष अन्दर मियाद दिनांक 26.09.2019 को अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, एवं राजस्व अपील अधिकारी महोदय ने दिनांक 21.10.2019 को स्थगन आदेश जारी करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की क्रियान्विति 21.11.2019 तक स्थगित फरमा दी। रेस्पा0 संख्या 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपील प्रस्तुत करने की मियाद समाप्त होने से पहले ही न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के निर्णय दिनांक 04.09.2019 के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण 2698 दिनांक 22.10.2019 को उपतहसीलदार बगरू से तस्दीक करवा लिया। अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तकरण के बारे में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के स्थगन आदेश की प्रति जब उपतहसील बगरू को पेश की गयी एवं तत्समय पटवारी हल्का ने कहा कि नामान्तकरण तस्दीक हो जाने से अब स्थगन आदेश से पाबन्द नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के खिलाफ है इसलिए अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.09.2019 के विरूद्ध अपील पेश करने की मियाद समाप्त होने से पहले ही अपीलाधीन आदेश के माध्यम से नामान्तकरण संख्या 2698 स्वीकृत करने में कानूनी भूल की है इसलिए अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार बगरू का आदेश बाबत नामान्तकरण संख्या 2698 दिनांक 22.10.2019 वाके ग्राम बगरू, तहसील सांगानेर निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पा0 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट ने गलत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की है। अपीलाधीन नामान्तकरण न्यायालय के डिक्री आदेश की पालना में तस्दीक किया गया है इसलिए नामान्तकरण को चुनौती दिये जाने का विधिक अधिकार अपीलांट को नहीं है। न्यायालय सहायक कलक्टर के आदेश दिनांक 04.09.2019 को अपीलांट ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में चुनौती दी गयी जो वर्तमान में विचाराधीन है। अपीलांट द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर अपील पेश की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जावे।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण न्यायालय आदेश के आधार पर तस्दीक किया गया है जिसमें कोई त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गयी है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं अपीलाधीन नामान्तकरण के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2698 पटवारी हल्का द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय के निर्णय दिनांक 04.09.2019 के आधार पर दर्ज किया गया। जिसके आधार पर उप तहसीलदार बगरू द्वारा दिनांक 22.10.2019 को नामान्तकरण संख्या 2698 अपीलांट एवं रेस्पाडेन्ट्स के हक में स्वीकार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तकरण न्यायालय ए.सी.ई.एम जयपुर शहर द्वितीय के डिक्री आदेश दिनांक 04.09.2019 की पालना में तस्दीक किया गया है। अपीलांट द्वारा भी न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया गया है कि न्यायालय ए.सी.ई.एम. जयपुर द्वितीय द्वारा पारित डिक्री आदेश दिनांक 04.09.2019 के विरूद्ध अपीलांट की अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में विचाराधीन है। न्यायालय हाजा का श्रवण क्षेत्राधिकार नामान्तकरण के बिन्दु पर है, अपीलाधीन नामान्तकरण न्यायालय ए.सी.ई.एम जयपुर द्वितीय द्वारा पारित डिक्री आदेश के आधार पर तस्दीक किया गया एवं वर्तमान में न्यायालय ए.सी.ई.एम जयपुर द्वितीय का आदेश प्रभावी है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण स्वीकार करने में क्या त्रुटि की है, अपीलांट अधिवक्ता साबित नहीं कर पाये है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसमें किसी के हक, हकूक अधिकार के बिन्दु को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और न ही इस बावत क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित है। न्यायिक आदेश से तस्दीक किये गये अपीलाधीन नामान्तकरण एवं वर्तमान में न्यायिक आदेश की अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में विचाराधीन होने के कारण अपीलाधीन नामान्तकरण में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री आदेश के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार करने में क्या त्रुटि की है, अपीलांट अधिवक्ता साबित नहीं कर पाये है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तकरण लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर